भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

(149)

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

R 797-PBR-17 प्रकरण क्र. –पी.बी.आर. / निगरानी / 17

शावर मोहम्मद आ0 श्री तैमूर मोहम्मद पठान
निवासी 4 / 3 कोकब मजिंल बारह मजिंल
शाहाजाहॅनाबाद भोपाल म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

अफसर मोहम्मद आ0 श्री मेहमूद मोहम्मद
निवासी मकान न0 286 श्यामला हिल्स पोलिटेक्निक
कालेज के पास भोपाल म0प्र0 ....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 146 / अपील / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 22 / 11 / 16 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुगांलिया कोट तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क0 169 / 2 / 3 रकवा 15.00 एकड भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक के नाम से दर्ज है । आवेदक ने अपने स्वत्व एवं स्वामित्व कि भूमि के नक्शे में बटान अंकित न होने के कारण आवेदक द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष नक्शे में बटान अकिंत किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सबन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण क0 23 / अ–3 / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 07 / 07 / 2014 के द्वारा आवेदक के स्वामित्व की भूमि के नक्शे में बटान अकिंत करने के आदेश दिये । नक्शे में बटान अकिंत होने के उपरान्त आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि विभिन्न विकास कार्य किये गये। आवेदक द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो को अवरूद्व करने के उदेश्य से अनावेदक द्वारा 23 / अ–3 / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 07 / 07 / 2014 के असत्य तथ्यो के आधार पर लगभग 2 वर्ष उपरान्त अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी तथा अपील के साथ अनावेदक द्वारा पृथक से धारा 5 का आवेदन पत्र भी

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-797-PBR/17

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष रीडर	